



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या-180 राँची, मंगलवार, 18 फाल्गुन, 1942 (श०)
09 मार्च, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

23 फ़रवरी, 2021

संख्या-5/आरोप-1-125/2017-1883 (HRMS)-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री मनोज कुमार, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-पलामू), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुरडेग, सिमडेगा के विरुद्ध सिमडेगा जिला के कुरडेग प्रखण्ड अन्तर्गत बड़कीबिउरा पंचायत में क्रियान्वित योजना सं०-29/2015-16 करमडीह से ठुठीअम्बा तक डेढ़ किलोमीटर मोरम पथ निर्माण योजना में फर्जी मस्टर रॉल के आधार पर अवैध तरीके से Digital Signature का उपयोग कर एफ०टी०ओ० के माध्यम से बिना कार्य कराये कुल 1,92,999/- रु० का गबन करने, योजना सं०-31/2015-16 भैंसामारा करमडीह से कसई पहाड़ तक दो किलोमीटर मोरम पथ निर्माण योजना में कार्य की मूल्यांकित राशि 1,63,458/- रु० के विरुद्ध 3,99,123/- रु० राशि की निकासी करने संबंधी आरोप, जैसा कि उपायुक्त, सिमडेगा के पत्रांक-51(i)/जि०ग्रा०, दिनांक 05.10.2017 द्वारा गठित प्रपत्र-‘क’ में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री कुमार के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री कुमार द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल श्री गौरी शंकर मिंज, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

5. श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सिमडेगा को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री मनोज कुमार, झा०प्र०से० एवं श्री गौरी शंकर मिंज, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	MANOJ KUMAR JHK/JAS/160	श्री मनोज कुमार, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-पलामू), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुरडेग, सिमडेगा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विशाल सागर,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या: 111004320892
